Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में पुलिस थाना गांधीनगर का सहायक उपनिरीक्षक पुलिस 15 हजार रुपये रिश्वत मांगने के मामले में ट्रैप कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार, आरोपी की तलाश जारी**
- **मौके से रिश्वत राशि बरामद**

जयपुर, *30 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज बुधवार को एक शिकायत पर सत्यापन के पश्चात पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर शहर पूर्व में ट्रैप कार्यवाही की जिसमें आरोपी परमाराम बुडानिया सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर शहर पूर्व एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मौके पर एसीबी टीम को रिश्वत राशि बरामद हो गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमें में धाराऐं कम करने तथा गिरफ्तार नहीं करने की एवज में अनुसंधान अधिकारी परमाराम बुडानिया सहायक उपनिरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर शहर पूर्व 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी स्पेशल यूनिट–द्वितीय, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री शिवराज सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा पुलिस थाना गांधीनगर, जयपुर शहर पूर्व में ट्रेप कार्यवाही की जिसमें आरोपी परमाराम बुडानिया द्वारा परिवादी से 15 **हजार रुपये की रिश्वत** के रूप में प्राप्त किये परन्तु एसीबी कार्यवाही की भनक लगने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मौके पर आरोपी के कक्ष में आरोपी की वर्दी की पेंट की जेब से रिश्वत राशि बरामद हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि आरोपी परमाराम बुडानिया द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से 5 हजार रूपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थें।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।